

19.7.22

वकील उद्योग उपायित पणवकी वाडिग के पक्षा
 पक्ष कार्यालय मे तलब की गई। वाडिग
 द्वारा प्रेषण 02321 CPC अधिनियम 1908 में
 सीनिया प्रत्युत्तर किया, वाडिग व अपर (न) में
 की पहचान की राफेनु सिंह रात एडो ने की।
 वकील वाडिग ने कथन किया पक्षाकारों के
 प्रत्युत्तर राफेनुगला हो चुका है, अब वह और
 कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं और
 शवा विद्वो करना चाहते हैं। वकील जालेवाडिग
 ने शवा विद्वो पर अग्रणी जाहिर की।

श्री
 श्री
 श्री

Handwritten signature and initials.

पणवकी का अकलेडन किया 02321 CPC
 के अन्तर्गत वाडिग अपन राव किरी की (न)
 पर विद्वो कर सकता है) अग वाडिग को
 शवा विद्वो की अनुमति दी जाती है) विद्वो के
 अर्थात् पर शवा वाडिग श्वाहित किया जाता है)
 पणवकी के सलशुका (दोका दाखिल दफ्तर हो)

उपखण्डाधिकारी
 जालपर (राज)